



आर.सी.सी. टाई वीथ डलना उचित / आवश्यक
जो टी.सी.सी. वेडन निम्न प्रत्येक छत
हाने जाये.

आपके प्रथम पत्र दिनांक 24.03.11 के अर्थ में आपके प्रस्तावित रूप सहित आश्रित शुल्क निर्धारण 1468, 1477 व 1484 आन
प्रतिपाद पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- पुनः विचार्य सन्तुष्टः यत्ने

विगत नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा

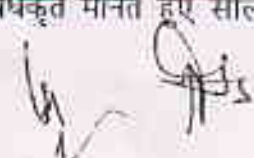
प्रतिनिधि : प्रधान रूप से (अ) स्वोद्यत व्यवसाय समित्त इत्यादि (ब) आयुष्य कायंजर्ग हेतु

ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು

सविना

अतिरिक्त शर्तें :-

1. निर्माण करने को अनुमति विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्तियों के आधार पर दी जाती है। यदि प्राप्त अनापत्तियों पर कोई विवाद होता है अथवा कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं तो मानचिह्न स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. प्रस्तुत बेटेड विस्तृत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्रैइंग के आधार पर स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में करना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 03.02.01 72/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001(आ.ब.)दि 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
 - क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आवद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा सरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसको अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
 - ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रेड, ईटें, कोर्स सैंड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेंगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रासायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषतः स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
 - ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/अंतर्विष्टों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - घ- यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी



नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में पा जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ड- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:-

- 1- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
- 2- अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण को पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
- 3- अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर को गणना एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्स।
- 4- अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल्स इत्यादि शामिल रहेंगे।
- 5- भवन निर्माण हेतु आवश्यक सगस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
- 6- साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
- 7- सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

3. फायर विभाग से प्राप्ता एन.ओ.सी. में दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा एवं फायर विभाग से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्राधिकरण से सम्पूति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4. वाह्य विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा 'सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष' की उपयोगिता के आधार पर ही प्रारम्भ किया जायेगा। मात्र संदर्भित निर्माण के आधार पर प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष की उपयोगिता के आधार पर ही प्रारम्भ किया जायेगा। मात्र संदर्भित निर्माण के आधार पर प्राधिकरण तत्काल वाह्य विकास प्रारम्भ करने के लिए बाध्य नहीं होगा एवं वास्तविक विकास शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो वह निर्माणकर्ता को वहन करना होगा।

5. (क) वाह्य विकास शुल्क की अवशेष धनराशि की किस्तों का निर्धारण निम्नवत् है :-

वाह्य विकास शुल्क

कुल धनांक	- 4,18,66,775.00
25% जमा धनराशि	-() 1,04,66,694.00
अवशेष धनराशि	- 3,14,00,081.00



किश्तों का निर्धारण :

क्र.सं.	दिनांक	मूल धन (रु.)	12 प्रतिशत ब्याज	कुल धनराशि (रु.)
1.	24.06.12	52,33,346.00	18,84,006.00	71,17,352.00
2	24.12.12	52,33,346.00	15,70,005.00	68,03,351.00
3	24.06.13	52,33,346.00	12,56,004.00	64,89,350.00
4	24.12.13	52,33,346.00	9,42,003.00	61,75,349.00
5	24.06.14	52,33,346.00	6,28,002.00	58,61,348.00
6	24.12.14	52,33,351.00	3,14,001.00	55,47,352.00

6. वाह्य विकास शुल्क के पद में किसी भी प्रकार की शुल्क की छूट इस आधार पर नहीं दी जायेगी कि प्राधिकरण द्वारा वाह्य विकास नहीं कराया गया। वाह्य विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।
7. बतौर प्रतिभूति बन्धक रखे गये क्षेत्रफल 4784.00 वर्ग मीटर पर निर्माण करने की अनुमति होगी परन्तु उक्त निर्माण को विक्रय/ आवंटित करने का अधिकार प्राधिकरण में समस्त धनराशि जमा करने के उपरान्त ही होगा।
8. यदि बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है तो वसूली की दशा में प्रथम अधिकार प्राधिकरण का ही होगा।
9. किश्तों समय से जमा न किये जाने पर नियमानुसार विलम्ब ब्याज देय होगा तथा प्रस्तुत ढक्कन पर एग्रीमेंट एवं सिन्डिकेटेड बॉण्ड की शर्तों के अनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
10. किश्तों का भुगतान समयान्तर्गत न होने पर भूमि/भवन को विक्रय कर व वसूली का अधिकार प्राधिकरण का होगा, यदि विक्रय से पूर्ण धनराशि की प्राप्ति नहीं होती है तो अवशेष धनराशि ब्रिटिश को अन्य सम्पत्ति को विक्रय का अथवा पू-रजस्व के बकाया के रूप में नियमानुसार वसूली की जायेगी।
12. यदि दो किश्तों का भुगतान समयान्तर्गत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण को गानचित्र निस्त कर परिसर को सौल करने का अधिकार होगा।

